कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर।

पत्रांकः– एस०एस०ए०/के०जी०बी०वी०/2645–2650/2026–27 दिनांकः– 05-06-2026

प्रेस विज्ञप्ति

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पद पर चयन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के०जी०बी०वी०/1790/2023–24 दिनांक 12 मई 2023, के०जी०बी०वी०/शिक्षक/8362/2020–21 दिनांक 04–01–2021, शासनादेश संख्या 1553/68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020, शासनादेश संख्या 570148/2024 फाईल नं0 68–5009/23/2024–5() दिनांक 28.05.2024, शासनादेश संख्या 68–5099–23/2024–अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 21.10.2024, राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के0जी0बी0वि0/1837/2024–25 दिनांक 30.05.2024 एवं पत्रांक के0जी0बी0वि0/7114/2024–25 दिनांक 28.10.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के अनुमति दिनांक 04/06/2026 के क्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष **महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाना है।**

रिक्त शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों पर चयन संविदा के आधार पर **(11 माह 29 दिन के लिए)** निर्धारित मानदेय पर चयन करने हेतु निम्नवत विवरणानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उक्त शासनादेशो के अनुपालन में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण व शैक्षिक अहर्ता निम्नवत है–

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (कक्षा 06 से 08) हेतु–

01. पद एवं अर्हता (समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित)–

क्र. सं.	पदनाम	आयु	विषय	आरक्षण श्रेणी				कुल पद	निर्धारित मानदेय	शासनादेश के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता
				अनारक्षित	ई.डब्लू.एस.	अ0पि0व0	एस.सी./एस.टी.			
01	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	25 से 45 वर्ष	विज्ञान	01	00	00	00	**01**	25410	जेड०बी०सी० वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०
02		25 से 45 वर्ष	गणित	00	01	00	00	**01**	25410	पी०सी०एम० वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०
03		25 से 45 वर्ष	समाजिक विषय	01	00	00	00	**01**	25410	भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०
04		25 से 45 वर्ष	भाषा (हिन्दी)	01	00	00	00	**01**	25410	हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०
05		25 से 45 वर्ष	अंग्रेजी	00	00	00	01	**01**	25410	अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०
06	अंशकालिक शिक्षिका (महिला)	25 से 45 वर्ष	कला क्राफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प	00	00	02	00	**02**	12790	निर्दिष्ट विषय के साथ स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०
07		25 से 45 वर्ष	कम्प्यूटर	00	00	00	01	**01**	12790	स्नातक प्रशिक्षित उपाधि एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० के अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु P.G.D.C.A./ B.C.A./ B.Sc Computer science अथवा स्नातक सहित D.O.E.A.C.C या संमकक्ष संस्था से" ओ. लेवल" / ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता वांछित है।

08	लेखाकार (महिला)	25 से 45 वर्ष	लेखाकार	00	00	01	00	**01**	14357	स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम०एस० आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। **DOEACC** या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में **"ओ"** लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
09	मुख्य रसोईयाँ	25 से 45 वर्ष	—	00	00	01	00	**01**	9006	कक्षा –08 उत्तीर्ण व शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
10	सहायक रसोईयाँ	25 से 45 वर्ष	—	02	02	02	00	**06**	6755	कक्षा –08 उत्तीर्ण व शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
11	चपरासी	25 से 45 वर्ष	—	01	01	00	00	**02**	7505	कक्षा –08 उत्तीर्ण व शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
12	चौकीदार	25 से 45 वर्ष	—	00	01	00	01	**02**	7505	कक्षा –08 उत्तीर्ण व शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए।

<u>कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (कक्षा 09 से 12) हेतु–</u>

<u>02. पद एवं अर्हता (समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित)–</u>

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी			शैक्षिक अर्हता	वरीयमान अर्हता	निर्धारित मानदेय प्रतिमाह (रूपये में)
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु०जाति			
01	**पी०जी०टी० गणित**	01	00	00	01	1. एम०ए० अथवा एम०एस०सी० गणित **अथवा** 2. गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी०ए० (आनर्स) अथवा बी०एस०सी० (आनर्स)	प्रशिक्षित	22000/–
02	**लैब असिस्टेंट**	05	02	01	02	हाईस्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा **अथवा** मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट–विज्ञान वर्ग के साथ		7147/–

03	कार्यालय अधीक्षक / लिपिक	03	01	01	01	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । 2. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के साथ–साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था / शिक्षाबोर्ड / परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। **अथवा** कम्प्यूटर संचालन DOEACC/NIELIT द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण–पत्र **अथवा** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण–पत्र। **अथवा** कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा / डिग्री 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट		12430 /–

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (कक्षा 06 से 08) हेतु चयन हेतु आवश्यक निर्देश / अर्हता :–

01. आवेदन पत्र पर **आवेदित पद का नाम, वर्ग विषय** के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में **''कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (टाइप–1 कक्षा 06 से 08 तक) हेतु आवेदन पत्र''** अंकित होना आवश्यक है। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। लिफाफे के अन्दर दो पता लिखे तथा रू0 **65 /–**के डाक टिकट में लगे सादा लिफाफे अवश्य लिखे। आवेदन पत्र अपूर्ण एवं त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
02. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। सभी वर्षों के समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण–पत्र यथा–हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां व **65 /–**के डाक टिकट में लगे सादा लिफाफे अनिवार्य रुप से संलग्न किया जायेगा।
03. पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड० / समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा। मान्यता सम्बन्धी पत्र अवश्य संलग्न करें।
04. पूर्ण कालिका शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्ण कालिक होगा। इन्हे विद्यालय परिसर में ही रहना अनिवार्य होगा।
05. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक / शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक / शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिये भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

क्र०सं०	परीक्षा / उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1.	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत × 10 / 100
2.	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत × 10 / 100
3.	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत × 20 / 100
4.	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत × 30 / 100

5.	**भारांक :–** कस्तूरबा गाँधी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव	प्रत्येकपूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 02 अंक अधिकतम 30 अंक जो भी कम हो।

नोट–

(क) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियो के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियो का नाम जो आयु में ज्येष्ट हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(ख) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियो के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।

06. रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे।

07. चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार के लिये 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसम शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे।

08. ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे है. उन शिक्षकों/शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता शासनादेश संख्या–के०जी०बी०वी०/3–2/1916/2013—दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिये टी०ई०टी० की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

09. शैक्षणिक स्टाफ हेतु केवल उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा, जिनके स्नातक के विषय उक्तवत् विवरण में दिये गये विषयों से मिलान करेंगे।

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (कक्षा 09 से 12) हेतु चयन हेतु आवश्यक निर्देश/अर्हता :–

01. आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में "**उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (टाइप–3 कक्षा 09 से 12 तक)** हेतु आवेदन पत्र" अंकित होना आवश्यक है। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। लिफाफे के अन्दर दो पता लिखे तथा रू0 65/–के डाक टिकट में लगे सादा लिफाफे अवश्य लिखे। आवेदन पत्र अपूर्ण एवं त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

02. चयन प्रक्रिया–

➢ **अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–**

क्र0सं0	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X20/100
4	परास्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X20/100
5	प्रशिक्षण सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X30/100

नोटः–

➢ यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

➢ यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।

- **उच्चीकृत कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं गैर उच्चीकृत कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु अन्य अनिवार्य अहर्ता/निर्देश**

01. **आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।**आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर साफ एवं सुन्दर अक्षरों में सुस्पष्ट हस्तलिखित/टंकित ही स्वीकार्य होगा जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है।

02. विज्ञप्ति में दिये गये पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी।

03. **सत्यापन–** शिक्षक/शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/संस्था से कराया जायेगा। कार्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित/संरक्षित कराया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
04. राज्य सरकारों के निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षण देय होगा।
05. **एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।** एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रुप से अंकित किया जाये।
06. प्रत्येक शैक्षिक स्तर में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों के समस्त पद मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बैठक में दिये गये निर्देशों के अधीन होंगे। तत्कम में विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने की दशा में आगामी सत्र हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीन संविदा की जायेगी एवं संविदा का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिये किया जायेगा।
07. चयन समिति द्वारा रिक्त पद के सापेक्ष 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके। शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन पदान करने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होंगी।
08. प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
09. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में विषयवार/पदवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा। किसी भी प्रकार के बदलाव व सुधार हेतु पूर्ण अधिकार जनपद स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
10. सर्वप्रथम विकलांग महिला अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठता कम के अनुसार काउन्सलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सम्मुख नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की सूची के समरूप सूची के रखी जायेगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम विषय एवं हस्ताक्षर अंकित करेगा। उक्त प्रक्रिया प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जायेगी।
11. उक्त प्रकिया से काउन्सलिंग के माध्यमसे प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किये जायेगें। मेरिट के आधार पर विकल्प नही देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।
12. सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार देय होगा।
13. आवेदन पत्र के साथ अंक–पत्रों प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक एवं प्रशिक्षण), चरित्र प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, की स्व–प्रमाणित प्रतियां संलग्न किये जाएं। साक्षात्कार/काउन्सिलिंग के समय समस्त उपरोक्त सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मीरजापुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
14. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी दशा में जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ देय नही होगा।
15. किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नही होगें। यदि चयनोपरान्त उक्त तथ्य प्रकाश में आता है तो बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्ति कर दी जायेगी।
16. विज्ञप्ति के निर्धारित आवेदन पत्र प्रारुप में कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन अमान्य होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं में कोई परिवर्तन स्वीकार नही होगा। सभी सूचनायें निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से अंकित किया जाये।
17. अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किये गये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
18. अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग/साक्षात्कार के लिए आने पर कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

19. उक्त पद शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए होगा। कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर संविदा अवधि अगले शैक्षिक सत्र के लिए बढ़ाई जा सकती है। कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
20. पदवार/विषयवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
21. चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम रुप से माना जायेगा।
22. **पंजीकृत डाक द्वारा विलम्ब से आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में विभाग जिम्मेदार नही होगा।**
23. रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है तथा किसी भी पद या समस्त पद के लिए विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। इसमें किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।
24. अर्ह उम्र का निर्धारण 01 अप्रैल 2026 से माना जायेगा।
25. पदों पर चयन वर्ष की 01 अप्रैल 2026 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
26. कस्तूरबा गांधी बालिका विघालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।
27. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा **कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर, बरियाघाट, मीरजापुर (उ0प्र0) पिन कोड– 231001 को दिनांक 27 जून 2026 को सांय 05:00 बजे तक** स्वीकार किये जायेगे। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही मान्य होगा। अन्य किसी माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(अनिल कुमार वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

पृ०स०– एस०एस०ए०/के०जी०बी०वी०/2645-2650 /2026–27 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर।
02. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मीरजापुर।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), विंध्याचल मण्डल मीरजापुर।
04. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा मीरजापुर।
05. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद के वेबसाइट **https://mirzapur.nic.in/** पर उपलोड करने का कष्ट करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

जनपद मीरजापुर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों का चयन हेतु आवेदन पत्र (2026–27) (टाइप–1 कक्षा 06 से 08 तक)

नवीनतम फोटो
स्व हस्ताक्षरित

01. विज्ञापन संख्या–
02. आवेदित पद का नाम–
03. आवेदित विषय का नाम–
04. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) –..
(हिन्दी में). –..
(हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार)
05. लिंग–
06. पिता का नाम–
07. पति/पत्नी का नाम–
08. स्थाई पता–
09. पत्राचार का पता–
10. दूरभाष नम्बर–
11. ई–मेल–
12. जन्मतिथि–**(हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार)** DD /MM / YYYY
13. दिनांक **01.04.2026** को आयु– वर्ष .... माह............ दिन...........
14. राष्ट्रीयता–
15. आरक्षित श्रेणी (**1.**सामान्य, **2.**अ०पि०वर्ग, **3.**अनुसूचित जाति, **4.**अनु०जन जाति, 5.**EWS**).............
(जाति प्रमाण पत्र कि अद्यतन छायाप्रति जो कि अभ्यर्थी के पिता पक्ष से निर्गत हो आवेदन के साथ संलग्न करें)
16. आधार नम्बर–

17. वैवाहिक स्थिति–
18. के०जी०बी०वी० में कार्य करने का अनुभव वर्ष............माह.........दिन..... **(यदि कोई हो (छायाप्रति संलग्न करें))–**
नोट– प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि वर्तमान में आप प्रदेश में किसी भी के०जी०बी०वी० में कार्यरत नहीं है। वर्ष 2020–21 में शासनादेशों के आलोक में आपकी संविदा का नवीनीकरण नही किया गया।
19. शैक्षिक योग्यता का विवरण **(विवरणानुसार स्वहस्ताक्षरित अभिलेख संलग्न करें)–**

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	जू०हा० स्कूल (कक्षा 8)						
02	**हाईस्कूल**						
03	**इण्टरमीडिएट**						
04	**स्नातक**						
05	**प्रशिक्षित स्नातक (बी०एड०/एल०टी०)**						
06	**कम्प्यूटर**						
07	**टी०ई०टी०**						
08	**अन्य**						
09	**अन्य**						

घोषणा पत्र

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी................................ एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैंने विज्ञप्ति की पात्रता शर्तों को पूरी सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में दिया गया सम्पूर्ण विवरण/सूचना सत्य है और मैंने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य गोपन नहीं किया गया है। यदि कोई विवरण/सूचना आदि असत्य/गलत पायी जाये अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया हुआ पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति होने के उपरान्त विपरीत तथ्य प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाये तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाये। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओ से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि में मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक..................

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान..........

(पूरा नाम व पता सहित)

जनपद मीरजापुर में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों का चयन हेतु आवेदन पत्र (2026–27) (टाइप–3 कक्षा 09 से 12 तक)

नवीनतम फोटो

स्व हस्ताक्षरित

01. विज्ञापन संख्या–
02. आवेदित पद का नाम–
03. आवेदित विषय का नाम–
04. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) –..
(हिन्दी में). –..
(हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार)
05. लिंग–
06. पिता का नाम–
07. पति / पत्नी का नाम–
08. स्थाई पता–
09. पत्राचार का पता–
10. दूरभाष नम्बर–
11. ई–मेल–
12. जन्मतिथि–**(हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार)** DD /MM / YYYY
13. दिनांक **01.04.2026** को आयु– वर्ष .... माह............. दिन...........
14. राष्ट्रीयता–
15. आरक्षित श्रेणी (**1.**सामान्य, **2.**अ०पि०वर्ग, **3.**अनुसूचित जाति, **4.**अनु०जन जाति, 5.**EWS**).............
(जाति प्रमाण पत्र कि अद्यतन छायाप्रति जो कि अभ्यर्थी के पिता पक्ष से निर्गत हो आवेदन के साथ संलग्न करें)
16. आधार नम्बर– | | | | | | | | | | | | |
17. वैवाहिक स्थिति–
18. शैक्षिक योग्यता का विवरण **(विवरणानुसार स्वहस्ताक्षरित अभिलेख संलग्न करें)**–

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	जू०हा० स्कूल (कक्षा 8)						
02	**हाईस्कूल**						
03	**इण्टरमीडिएट**						
04	**स्नातक**						
05	**परास्नातक**						
06	**प्रशिक्षित स्नातक (बी०एड० / एल०टी०)**						
07	**कम्प्यूटर**						
08	**टी०ई०टी०**						
09	**अन्य..............................**						

घोषणा पत्र

मैं.. पुत्र / पुत्री / पत्नी................................ एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैंने विज्ञप्ति की पात्रता शर्तों को पूरी सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में दिया गया सम्पूर्ण विवरण / सूचना सत्य है और मैंने इस विवरण / सूचनाओं में कोई तथ्य गोपन नहीं किया गया है। यदि कोई विवरण / सूचना आदि असत्य / गलत पायी जाये अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया हुआ पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति होने के उपरान्त विपरीत तथ्य प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाये तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाये। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओ से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्र आवेदन करने की तिथि में मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक................... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान.......... (पूरा नाम व पता सहित)